भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 79.

दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सलवादी हमले

79. श्रीमती गीता कोडाः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री रमेश चन्द्र कौशिकः
श्री जुगल किशोर शर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बड़े नक्सली हमलों का ब्यौरा क्या है और इनमें मारे गए नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों तथा गिरफ्तार किए गए/मारे गए नक्सलियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) हाल के समय में विशेष कर झारखण्ड में नक्सली हमलों में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नक्सलवाद से निपटने हेतु नक्सल प्रभावित राज्यों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि की राशि कितनी है और सरकार द्वारा बढ़ती नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने और सुरक्षा बलों को गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या वर्तमान में झारखण्ड सहित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए संसाधन पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने निरंतर बढ़ती नक्सली समस्या को रोकने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (च):

(i) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य सरकारों के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्यों द्वारा तैनात किए जाने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करती है।

(ii) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से पूर्ण रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारियां सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। जहां सुरक्षा की दृष्टि से, केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनें, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियां, उपकरण एवं हथियार आदि प्रदान करके; हेलीकॉप्टरों का प्रावधान करके; आसूचना का आदान-प्रदान करके तथा साथ ही सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम, विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य सरकारों की सहायता करती है, वहीं विकास की दृष्टि से केंद्र सरकार ने विभिन्न उपाय किए है, जिनमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, मोबाइल नेटवर्क एवं टावरों की स्थापना, बैंकों एवं डाक घरों का बेहतर नेटवर्क और स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं शामिल हैं।

(iii) अत्यधिक एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के विकास में अधिक बल प्रदान करने के लिए, 'विशेष केंद्रीय सहायता' के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं, ताकि सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को दूर किया जा सके।

(iv) उपर्युक्त नीति के निरंतर कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश में एलडब्ल्यूई हिंसा और इसके भौगोलिक विस्तार में लगातार गिरावट हुई है। एलडब्ल्यूई हिंसा की घटनाएं वर्ष 2009 में सर्वाधिक 2258 से 70% तक कम होकर वर्ष 2020 में 665 हो गई हैं। इसी प्रकार, इनके परिणामस्वरूप हुई मौतें (आम नागरिक + सुरक्षा बल) वर्ष 2010 में सर्वाधिक 1005 से 80% तक कम होकर वर्ष 2020 में 183 हो गई है।

(v) पिछले 03 वर्षों और चालू वर्ष में, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई/एलडब्ल्यूई) स्कीम, विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) और एससीए के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां अनुलग्नक-। में दी गई हैं।

(vi) पिछले तीन वर्षों में हिंसा का राज्य-वार आंकड़ा अनुलग्नक-।। में दिया गया है।

******

लो.सं.अता.प्र.सं. 79 दिनांक 02.02.2021

अनुलग्नक-I

पिछले 03 वर्षों में एसआरई (एलडब्ल्यूई) स्कीम, एसआईएस और एससीए के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

सुरक्षा संबंधी व्यय

(करोड़ रु. में)

जारी की गई निधियों की स्थिति (दिनांक 22.01.2021 की स्थिति के अनुसार)				
राज्य	**वित्त वर्ष 2017-18**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**
आंध्र प्रदेश	21.04	11.60	37.23	8.96
बिहार	30.63	14.14	17.70	14.23
छत्तीसगढ़	92.75	54.53	120.81	140.61
झारखंड	93.37	64.54	123.52	28.58
केरल	-	2.94	2.83	-
मध्य प्रदेश	2.90	1.94	1.23	0.83
महाराष्ट्र	31.86	13.12	21.11	21.25
ओडिशा	125.82	12.72	12.81	8.80
तेलंगाना	17.22	6.26	16.12	9.00
उत्तर प्रदेश	7.29	7.15	4.45	3.22
पश्चिम बंगाल	22.12	11.07	9.44	3.73
कुल योग	**445.00**	**200.00**	**367.26**	**239.21**

विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)

(करोड़ रु. में)

राज्य	**वित्त वर्ष 2017-18**	**वित्त वर्ष 2019-20**
आंध्र प्रदेश	3.00	9.83
बिहार	8.00	12.38
छत्तीसगढ़	13.00	23.63
झारखंड	14.00	24.66
केरल	-	0.90
मध्य प्रदेश	2.90	0.71
महाराष्ट्र	3.00	7.50
ओडिशा	6.00	11.61
तेलंगाना	3.00	10.12
उत्तर प्रदेश		1.35
पश्चिम बंगाल		0.00
कुल योग	**50.00**	**102.67**

लो.सं.अता.प्र.सं. 79 दिनांक 02.02.2021

अनुलग्नक-।।

एलडब्ल्यूई हिंसा की घटनाओं, मारे गए नागरिकों, मारे गए सुरक्षा बलों, मारे गए एलडब्ल्यूई और गिरफ्तार किए गए एलडब्ल्यूई की सूची

	2018					2019				
राज्य	घटना	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल	मारे गए एलडब्ल्यूई	गिरफ्तार किए गए एलडब्ल्यूई	घटना	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल	मारे गए एलडब्ल्यूई	गिरफ्तार किए गए एलडब्ल्यूई
आंध्र प्रदेश	12	3	0	0	63	18	5	0	7	42
बिहार	59	13	2	2	374	62	16	1	7	389
छत्तीसगढ़	392	98	55	125	931	263	55	22	79	367
झारखंड	205	34	9	26	372	200	42	12	27	290
मध्य प्रदेश	4	0	0	0	14	5	2	0	2	11
महाराष्ट्र	75	12	0	52	15	66	18	16	8	11
ओडिशा	75	11	1	19	39	45	10	1	8	47
तेलंगाना	11	2	0	1	113	8	2	0	2	112
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
अन्य	0	0	0	0	3	3	0	0	5	3
कुल	833	173	67	225	1933	670	150	52	145	1276

	2020				
राज्य	घटना	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल	मारे गए एलडब्ल्यूई	गिरफ्तार किए गए एलडब्ल्यूई
आंध्र प्रदेश	12	4	0	0	31
बिहार	26	8	0	5	255
छत्तीसगढ़	315	75	36	44	320
झारखंड	199	38	1	14	378
मध्य प्रदेश	16	2	0	3	1
महाराष्ट्र	30	5	3	9	5
ओडिशा	50	7	2	17	13
तेलंगाना	15	1	1	10	103
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
अन्य	2	0	0	1	4
कुल	665	140	43	103	1110